बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी.आर. 71/2023

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023 की उत्तरपुस्तिकाओं के स्क्रूटिनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल **दिनांक 21.03.2023** को प्रकाशित किया गया है। यदि कोई छात्र/छात्रा अपने किसी एक विषय या सभी विषय के प्राप्तांक से असंतुष्ट हों, तो अपने उस विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिका के स्क्रूटिनी कराने हेतु समिति की वेबसाइट **biharboardonline.bihar.gov.in** पर **दिनांक 23.03.2023 से 29.03.2023 तक की अवधि में रू0 120/–(एक सौ बीस रूपये मात्र) प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।**

2. ऑनलाईन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया :–

(i) उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटिनी के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु समिति की वेबसाईट **biharboardonline.bihar.gov.in** पर "Apply for scrutiny (Intermediate Annual Examination 2023)"/अथवा **scrutinyss.biharboardonline.com** लिंक पर क्लिक कर परीक्षार्थी अपना रौल कोड, रौल नम्बर एवं सूचीकरण संख्या (उदाहरण के तौर पर 52002–23010122–R-52002005.21) अंकित करते हुए रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के उपरांत छात्र का एक पुनरीक्षण (स्क्रूटिनी) आवेदन संख्या (Application ID No.) प्रदर्शित होगा। ये (Application ID No.) छात्र भविष्य में अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखेंगे।

(ii) पुनरीक्षण (स्क्रूटिनी) आवेदन संख्या (Application ID No.) एवं सूचीकरण संख्या का प्रयोग करते हुए Login करेंगे। इसके उपरांत छात्र का सभी विषयों के साथ एक पेज खुलेगा तथा सभी विषय के सामने अंकित चेक बॉक्स होगा।

(iii) जिस विषय/विषयों में परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटिनी कराने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना हो वे उस विषय/विषयों के सामने अंकित चेक बॉक्स के अन्दर (✓) मार्क करेंगे।

(iv) तत्पश्चात् Fee Payment के लिए पेज पर उपलब्ध Fee payment button को क्लिक करेंगे। निर्धारित स्क्रूटिनी शुल्क के भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। परीक्षार्थी ऑनलाईन भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता से राशि की निकासी के पश्चात् समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. समिति विनियमावली में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत स्क्रूटिनी निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित होगी :–

- यदि उत्तरपुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों में अंक मुख पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- यदि कोई प्रश्न या उसके खण्ड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित हैं, तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जायेगा।
- स्क्रूटिनी के परिणामस्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत् रह सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0)